

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./एनसी/ए/85/स्थानां.निरस्त/2019/368
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.08.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2019-20 के अन्तर्गत जारी स्थानांतरण आदेश निरस्त कराये जाने के संबंध में।

:: 00 ::

स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2019-20 के अन्तर्गत किये गये ऑनलाईन स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदकों द्वारा स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है और उनके द्वारा स्थानांतरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। ऐसे आवेदक स्थानांतरण आदेश निरस्तीकरण हेतु एज्यूकेशन पोर्टल पर अपनी युनिक आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से एज्यूकेशन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, Transfer Portal के चयन पश्चात् Register request for cancellation of transfer order/ <http://educationportal.mp.gov.in/TTTransfer/Employee/CancelRequest.aspx> के माध्यम से स्थानांतरण आदेश का क्रमांक आदि की पृविष्टि कर अपना स्थानांतरण आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध कर SAVE करेगा। यह सुविधा दिनांक 27.08.19 से 30.08.19 सायं 5:00 बजे तक उल्लेखित लिंक पर उपलब्ध रहेगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(एस.एस.एच./रिजवी)
संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27.08.2019

पृष्ठां.क्र./एनसी/ए/85/स्थानां./2019/369
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुड़ा-भवन, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश